(b) if so, the details and reasons therefor; and

(c) the State Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A revised proposal for diversion of 233.24 ha. of forest land for development of Special Tourism Area on the sea beach between Puri and Konark has been received from the State Government of Orissa under Forest (Conservation) Act, 1980 and the same is under examination. In respect of ongoing construction work of bridge and road in the KonarkBalukhand Sanctuary, proposal has not been received.

(c) Does not arise.

पहाड़ों से पत्थरों की ढुलाई पर प्रतिबन्ध

1103. **श्री जनार्दन यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत किसी भी पहाड़ से पत्थरों की ढुलाई करने पर प्रतिबंध लगाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप, बांका, जिला भागलपुर (बिहार) में सड़क, पुल, पुलिया, भवन इत्यादि का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां पत्थर तोड़ने वाले उद्योग बन्द हो गये हैं और हजारों मजदूर भूखों मर रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वन क्षेत्रों में पहाड़ों सहित वन भूमि से पत्थर निकालने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) बांका, जिला भागलपुर में पत्थर तोड़ने वाले उद्योग के बन्द होने और सड़क, भवन, पुल, पुलिया इत्यादि के निर्माण कार्य के बन्द होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार से इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिये कहा गया है।

मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों के लिए सिंचाई परियोजनायें

1104. **श्री राघव जी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिले के लिये कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की तथा कौन-कौन सी परियोजनाओं को अस्वीकृत कर दिया ;

(ख) उन्हें अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त दोनों जिलों के लिये कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनायें पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास अभी भी लंबित पड़ी हैं और उन पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) गत दो वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत रायसेन जिले में भीमवाटिका तालाब परियोजना तथा विदिशा जिले में मसूदनगढ़ सिंचाई परियोजना को अनुमोदित किया गया है जबकि रायसेन में नंदखो तालाब परियोजना को अस्वीकार किया गया है। इस अवधि के दौरान विदिशा जिले में संबंधित किसी सिंचाई परियोजना को अस्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव सहित उक्त प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् नंदखो तालाब परियोजना प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है।